TATA POWER-DDL

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

(टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम)

एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली–110009

वेबसाइट : www.tatapower-ddl.com

सार्वजनिक नोटिस

जनता की प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध

वित्त वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष 2014–15 के लिए वितरण
(व्हीलिंग एवं रिटेलिंग सप्लाई) व्यवसाय और एवं वित्त वर्ष 2010–11 के लिए ट्रूअप
सकल राजस्व जरूरत की अनुमति हेतु बहु–वर्षीय याचिका

13 मार्च, 2012

1. टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) (पूर्वतः में एनडीपीएल) ने बिजली अधिनियम 2003, दिल्ली बिजली सुधार कानून 2000 के अमल में आने योग्य प्रावधानों और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आगे जिसे आयोग कहा जाएगा) द्वारा 30 मई, 2007 को जारी वितरण शुल्क नियमों और डीईआरसी द्वारा एमवाईटी विनियमनों के विस्तार हेतु 07.02.2012 के विज्ञापन के साथ, वित्त वर्ष 2010–11 के ट्रू अप के लिए और सकल राजस्व जरूरतों (एआरआर) तथा तदनुरूप टैरिफ समायोजन के बारे में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (जिसे आगे 'आयोग' कहा जाएगा) के समक्ष एक याचिका आयोग में 09.02.2012 को दायर की।

2. याचिका के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं–

टीपीडीडीएल की मौजूदा रिटेल सप्लाई शुल्क (आरएसटी) के लिए एपीआर और राजस्व का संक्षिप्त ब्योरा

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
A	एनर्जी इनपुट	MUs	7,306	7,622	8,236	8,903	9,619
B	एनर्जी बिल्ड	MUs	6,400	6,665	7,222	7,829	8,483
C	एटी एण्ड सी लॉस लेवल वर्ष के लिए@	%	13.10%	13.00%	12.75%	12.50%	12.25%
D	औसत बिजली क्रय दर	Rs./kWh	4.26	4.56	4.92	5.29	5.43
E	औसत बिलिंग दर (समलित ई टैक एण्ड एफएसए)#	Rs./kWh	4.64	4.96	5.52	5.51	5.50
F	औसत बिजली खरीद दर ऊर्जा क्रय कीमत पर (AxD/10)	Rs. Cr	3,113	3,476	4,053	4,707	5,224
G	बिजली क्रय की बकाया बिल राशि	Rs. Cr	-	370	-	-	-
H	स्वीकृत ओ एण्ड एम व्यय / एआरआर में दर्शाया	Rs. Cr	330	315	548	662	804
I	अवमूल्यन	Rs. Cr	110	118	211	228	259
J	आरओसीई+उधार पर ब्याज सहित रिटेल सप्लाई मार्जिन	Rs. Cr	242	263	364	405	442
K	अन्य व्यय	Rs. Cr	67	15	48	52	57
L	घटायें: गैर टैरिफ अन्य आय सहित	Rs. Cr	90	65	69	77	82
M	**कुल राजस्व की आवश्यकता (FtoK-L)**	Rs. Cr	**3,772**	**4,492**	**5,155**	**5,977**	**6,704**
N	**एआरआर हेतू राजस्व की उपलब्धता**	Rs. Cr	**2,670**	**3,363**	**4,373**	**4,815**	**5,309**
O	घटायें: राजस्व की कमी के स्तर को एटीएण्डसी हानियों द्वारा अतिरिक्त राजस्व का निमार्ण उपभोक्ता हिस्सेदारी के लक्ष्य स्तर पर	Rs. Cr	34				
P	वर्तमान टैरिफ वार्षिक राजस्व के अन्तर हेतू	Rs. Cr	1,068	1,129	782	1,162	1,395
Q	वार्षिक रख–रखाव हेतू कीमत	Rs. Cr	183	364	528	714	962
R	वर्ष के लिए राजस्व अंतर (P+Q)	Rs. Cr	1,251	1,493	1,310	1,876	2,357
S	वित वर्ष 2009-10 तक स्वीकृत प्रारम्भिक राजस्व अंतर	Rs. Cr	1,113				
T	**कुल संचयी राजस्व गैप** (रख–रखाव खर्च सहित)	**Rs. Cr**	**2,364**	**3,857**	**5,167**	**7,043**	**9,400**

नोटः
@वित वर्ष 2010–11 के लिए वास्तविक और वित वर्ष 2011–12 के लिए अनुमानित
वर्तमान औसत बिल दर में उपभोक्ताओं को लगाया जा रहा चार्ज

3. कैपेक्स प्रस्ताव

विवरण	UoM	FY 12-13	FY 13-14	FY 14-15
अर्जित किया जाने वाला अनुमानित केपेक्स (जमा कार्यसहित)	Rs Cr	419	475	453

4. 2012–12 से वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व अंतर

क्र.सं.	विवरण	UoM	FY 12-13	FY 13-14	FY 14-15
A	वार्षिक राजस्व आवश्यकता (पिछले राजस्व अंतर के रखरखाव लागत के अतिरिक्त)	Rs. Cr	**5,155**	**5,977**	**6,704**
B	एफपीए राजस्व कार्यान्वित के अलावा	Rs. Cr	**3,967**	**4,293**	**4,644**
C	एफपीए राजस्व कार्यान्वित द्वारा	Rs. Cr	**406**	**522**	**665**
D = B+C-A	राजस्व (अंतर) / बकाया	Rs. Cr	(782)	(1,162)	(1,394)
E = D/B	टैरिफ बढौतरी की आवश्यकता वर्तमान स्तर से (एफपीए के अतिरिक्त)	%	19.7%		
F = B*(1+E)	संशोधित टैरिफ 2012–13 बढौतरी पर राजस्व	Rs. Cr		5,139	5,560
G = F+C-A	संशोधित राजस्व (अंतर) / वार्षिक बकाया	Rs. Cr		(316)	(479)
H = G/F	प्रस्तावित स्तर से टैरिफ बढौतरी			6.1%	8.6%

5. वर्तमान वितरण टैरिफ तथा स्वीकृत वास्तविक बिजली खरीद लागत के मद्देनज़र बिजली खरीद की अनुमानित लागत में अंतर की वजह से राजस्व अंतर को बढ़ने से तत्काल रोकने के लिए मासिक / त्रैमासिक ऑटोमेटिक बिजली खरीद मूल्य समायोजन अधिभार काफी जरूरी है। यह उपभोक्ताओं पर राजस्व अंतर की वजह से इकट्ठे पड़ने वाले बोझ को कम करने में मददगार होगा।

6. उपरोक्त बिंदु 5 में शामिल लागतों के अलावा अन्य की वसूली के लिए टैरिफ करेक्शन की आवश्यकता है।

7. एकत्रित राजस्व अंतर की वसूली के लिए बिजली बिलों में राजस्व अंतर वसूली अधिभार को अलग से तब तक लगाने का प्रस्ताव है जब तक वहन खर्च की वसूली नहीं हो जाती या वैकल्पिक योजना का निर्धारण नहीं होता।

8. अधिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं पर शुल्क में अलग से "विश्वसनीयता अधिभार" को लगाने का प्रस्ताव है जो कम उपभोग वाले उपभोक्ताओं पर शुल्क संशोधन के बोझ को स्वतः कम रखेगा। (विस्तृत प्रस्ताव याचिका में उपलब्ध है)

9. वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान टीपीडीडीएल का प्रदर्शन

- **एटी एण्ड सी हानियां कम करना**
  वित्त वर्ष 2010–11 में एटी एण्ड सी हानियों का स्तर लगभग 13.1 प्रतिशत तक नीचे लाया गया। एमवाईटी ने 2010–11 के लिए एटी एण्ड सी हानियों को 17 प्रतिशत के स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा था। इस तरह हानियों के मामले में लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया गया और एटी एवं सी हानियों को 3.90% कम किया गया और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए 33.91 करोड़ रुपये का राजस्व बचाया गया।
- **अन्य मुख्य सुधार**
  - वित्त वर्ष 2010–11 में वितरण सुधार के लिए 4 नई ग्रिड चालू हुई।
  - सभी ग्रिड पूरी तरह एससीएडीए अनुपालन में आ गयीं और पूरी तरह रिमोट कंट्रोल से संचालित हैं।
  - सभी खंभों पर (स्ट्रीट लाइटों के खंभों समेत) संख्या दर्ज की गई हैं जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी।
  - बेहतर सुरक्षा ओर व्यवसाय के लिए सेकंडरी डाटा सेंटर स्थापित किए गए
  - रिठाला में गैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित और केशवपुरम में छतों पर बिजली उत्पादन के लिए 1000 किलोवाट क्षमता का बिजली उत्पादन संयंत्र ताकि कंपनी के परिचालन क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बेरोकटोक बिजली आपूर्ति की जा सके।
  - मिनी बिलों को तैयार करने की सुविधाओं में विस्तार और 34 एटीपीएम मशीनों पर भी उपलब्ध
  - अंतिम 5 भुगतान का विवरण पता करने के लिए एसएमएस एलर्ट सेवा शुरू
  - भुगतान के नए चैनल शुरू हुए जिनकी बदौलत कुल उपभोक्ता संपर्क केंद्रों की संख्या 5800 को पार
  - नेबरहुड इलैक्ट्रिशियन योजना के तहत् 150 से अधिक इलैक्ट्रिशियन प्रशिक्षित

10. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग व्यापक (व्यवसाय आचरण) नियमन 2001 के प्रावधानों के अनुरूप उपभोक्ताओं और सरोकार रखने वाले पक्षों से इस याचिका के बारे में अपने जवाब दाखिल करने का अनुरोध किया जा रहा है। ये जवाब आयोग के सचिव को नीचे दिए गए पते पर भेजे जा सकते हैं। जवाब को निजी तौर पर या डाक से आयोग को भेजा जा सकता है। ये जवाब ईमेल से आयोग के सचिव के ईमेल पते पर भी भेजे जा सकते हैं।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
विनियामक भवन, सी ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110017

Email id: secyderc@nic.in टेलीफैक्स : 011-26673608

11. आयोग बाद में इन लोगों के साथ सार्वजनिक सुनवाई करेगा। सुनवाई की तारीख आयोग अलग से तय करेगा।

12. याचिका की प्रति टीपीडीडीएल के कार्यालय – सब स्टेशन बिल्डिंग, हडसन लाइंस, किंग्सवे कैंप, दिल्ली–110009 से किसी भी कार्य दिवस पर 10–03–2012 से 29–03–2012 तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच 100 रुपये का नगद भुगतान या टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड, नयी दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट / पे ऑर्डर से प्राप्त की जा सकती है।

13. पूरी याचिका हमारी वेबसाइट http://www.ndpl.com and/or http://www.tatapower-ddl.com और आयोग की वेबसाइट http://www.derc.gov.in पर उपलब्ध है और इसे हमारे मुख्यालय एवं आयोग के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर 11 से दोपहर बाद 4 बजे के बीच देखा जा सकता है।

कृते टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड
हस्ताक्षरी
(हेमंत गोयल)
अति. महाप्रबंधक (वित्त)